

of land by the State Government and satisfactory feasibility study.

(c) in view of the very low traffic (around 33 per cent) obtaining on the present tri-weekly between Delhi/Bhubaneshwar, the Indian Airlines have no plans for the present to operate a daily direct flight between Delhi and Bhubaneshwar.

Demands of Central Government Employees, Accounts Office, Lucknow

4885. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether he is aware that the long-standing demands of the employees of Central Government at Area Accounts Office (Central Command), Lucknow, such as medical claims, overtime, P.F. advance, drinking water facilities, etc., were suppressed by the authorities who served notice about pay cut, forfeiture of past service etc., after 2 years alleging that the employees had gone on strike;

(b) whether he is also aware that the 94 employees against whom the notice has been served had been forcibly restrained from work as the police/PAC surrounded the office from 24th July, 1979 to 6th August, 1979; and

(c) if so, what steps have been taken to withdraw the notices served on the aforesaid employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA):

(a) Legitimate and reasonable demands of the employees, such as medical claims, overtime, P.F. advances, drinking water facilities, etc., were never suppressed.

Administrative action, including pay-cut prescribed under the rules, was taken against those employees who had resorted to an illegal strike and agitation from 22nd June 1979 to 30th July 1979. The pay-cut for the

month of July 1979 was enforced in 1979 itself. As regards the pay-cut for the strike period of 9 days during June 1979, after careful consideration of the whole case, a decision to impose the pay cut was taken and finally implemented in July 81.

(b) There was no question of forcibly restraining the employees from work by the police/PAC.

(c) Does not arise.

Involvement of bank employees in cheating/forgery cases

4886. SHRI SUBHASH YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of bank employees found involved in cheating and forgery during the last three years, year-wise and in 1981 so far in various parts of the country;

(b) the total amount involved;

(c) the particulars of these employees of the banks; and

(d) the action taken against them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) to (d). Information for the years 1978, 1979, 1980 and 1981 (upto August, 1981) indicating the number of employees of public sector banks, found to be involved in cheating and forgery after completion of departmental and or criminal proceedings, the punishment awarded and the total amount involved is being collected to the extent possible and will be laid on the Table of the House.

बिड़लाओं द्वारा चलाये जा रहे औद्योगिक एककों की ओर करों का बकाया

4887. श्री रघुनाथ सिंह वर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिड़ला परिवार द्वारा चलाए जा रहे औद्योगिक एककों की ओर विभिन्न

करों की राशि बकाया है और यदि हां तो भारत एवं विदेशों में उनकी कम्पनियां तथा उनकी कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों एवं उनके परिवारिक सदस्यों की ओर बकाया करों की कुल राशि क्या है और ये राशि कब से बकाया है तथा इस बकाया राशि को बसूल करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी राशि पर करों से छूट दी गई है और प्रत्येक द्वारा विभिन्न संस्थाओं एवं व्यक्तियों को कितना दान दिया गया;

(ग) प्रत्येक कम्पनी के लेखों में बिड़ला परिवार के सदस्यों, कम्पनियों के प्रबन्ध निदेशकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों और सलाहकारों को यात्रा भत्ते, प्रवास भत्ते तथा विदेश यात्रा व्यय की अदायगी के रूप में कितना व्यय दिखाया गया है और क्या यह ठीक है; और

(घ) क्या सरकार इन आरोपों के बारे में कोई जांच कर रही है यदि हां, तो किस एजेंसी के द्वारा और यदि नहीं तो सरकार का उक्त आरोपों के बारे में किस एजेंसी के द्वारा जांच कराने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लालू सिंह तिसौदिया): (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अधीन पंजीकरणों के आधार पर, 66 कम्पनियां बिड़ला-समूह से सम्बन्धित मानी जाती है। इन सभी कम्पनियों और इनके प्रबन्ध निदेशकों तथा परिवार के सदस्यों के बारे में इस प्रश्न में मांगी गई पूरी सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है और इसे एकत्रित करने में पर्याप्त श्रम और समय लगेगा। तथापि, उन व्यक्तियों के बारे में, जिनकी ओर 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार, 10 लाख रुपये से अधिक की मांगें बकाया पड़ी थीं, प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर यह देखा गया है कि बिड़ला-समूह से सम्बन्धित केवल 4 कम्पनियां हैं जिनकी ओर कर बकाया थे। इन चार कम्पनियों के सम्बन्ध में, प्रश्न के भाग (क) में मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ख) से (घ): 31 मार्च, 1981 से पूर्व पूरे किये गये नवीनतम कर-निर्धारण के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना इन चार कम्पनियों की बाबत एकत्र की जाएगी और यथा सम्भव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	कर-निर्धारिता का नाम	31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार कर की बकाया	31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार देय नहीं बनी मांग	करों की बकाया के कारण और मामले के निपटान के लिए किए गए उपाय
1	2	3	4	5
		(लाख रुपयों में)		
1	जियाजीराव काटन मिल्स लिमिटेड	249.57	489.27	कर निर्धारण वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 से सम्बन्धित; ये मांगें क्रमशः आयकर अपोलीय न्यायाधिकरण तथा आय

1

2

3

4

5

कर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में निवादग्रस्त हैं। संबंधित अपालीय प्राधिकारियों से इन अपीलों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किए जाने के लिए निवेदन किया गया है।

2 मैमूर सीमेण्ट्स लि०

1. 33

12. 23

कर-निर्धारण-वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 से सम्बन्धित कर की वकाया रकमें निम्न प्रकार से हैं:—

1976-77-46,000 रु०

यह धारा 221(1) के अधीन लगाया गया अर्थदण्ड है। 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार कर-निर्धारित से 10,000 रु० अदा करने के लिए कहा गया था और उस स्थिति में अर्थ-दण्ड के विरुद्ध की गई अपील का निपटान होने तक शेष रकम स्थगित कर दी जाएगी।

1977-78—87,000

रु० यह मांग विवादग्रस्त है और कर-निर्धारित की अपील आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन पड़ी थी।

1

2

3

4

5

- 3 आरिएण्ट पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड 90.29 शून्य कर की बकाया रकम, वर्ष 1977-78 के लिए सितम्बर, 1980 में किए गये कर-निर्धारण से सम्बन्धित है। सम्पूर्ण मांग आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में विवादग्रस्त है और उन से इस अपील का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए निवेदन किया गया है। 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 1976-77 के लिए 13.40 लाख रुपये की वापसी की रकम (रिफण्ड) को बकाया रकम के प्रति समायोजित किए जाने का प्रस्ताव किया गया था और समायोजन के संबंध में चालान प्राप्ति की प्रतीक्षा है। समायोजन करने के बाद शुद्ध बकाया रकम 76.89 लाख रुपये होगी।
- 4 टेक्सम को लि० 65.09 शून्य बकाया रकम, वर्ष 1977-78 की मांग को वावत जुलाई, 1980 में किए गये कर-निर्धारण की मांग से सम्बन्धित है। सम्पूर्ण मांग आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विवादग्रस्त पड़ी है और उन से इस अपी।

1 2 3 4 5

का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए निवेदन किया गया है। 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार, कर-निर्धारिती ने बकाया रकम के प्रति 15 लाख रुपये की अदायगी भी कर दी थी तथा उसके संबंध में चालान की प्रतीक्षा है।

News-Item captioned "Firms depriving Centre of Income-tax"

4888. SHRI R. K. MHALGI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have noticed the report published in the 'Statesman' New Delhi, dated 2nd April, 1981 under the caption "Firms depriving Centre of Income-tax";

(b) is the said report substantially correct;

(c) if so, whether Government propose to take appropriate action against the officials who are responsible for this fraud;

(d) whether on noticing this case Government have made any study of payments made to all the foreign collaborators doing business in India;

(e) if so, how many more such cases have been detected and what action has been taken in each case; and

(f) if not, the reasons for not investing similar possible cases of fraud on the income tax department?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAI SINGH SISODIA): (a) Yes, Sir,

(b) to (f). The matter is under examination.

Formulation of Gramin Bank Scheme under 20-Point Programme

4889. SHRI RASA BEHARI BEHERA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether in order to implement 20 point programme Gramin Bank, schemes was formulated;

(b) if so, how many banks are working in Orissa State and their progress of work till July, 1981;

(c) whether Government are aware that in Kalahandi District, Orissa, 'Gramin Banks' appointment have not yet been finalised and their function is not upto the mark; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI MAGANBHAI BAROT): (a) The programme of establishment of Regional Rural Banks (Gramin Banks)